रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 | REGISTERED No. D. (D.N.) 72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 1984/वैशाख 31, 1906
No. 64] NEW DELHI. MONDAY. MAY 21, 1984/VAISAKHA 31, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### वाणिज्य मंत्रालय
### निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 मई, 1984

**सार्वजनिक सूचना सं०: 16-ई टी सी (पी एन)/84**

**विषय:** अप्रैल 1984 मार्च 1985 के दौरान एच० पी० एस० मूंगफली की निर्यात नीति।

मि० सं० 38/17/84 ई-2.—आयात एवं निर्यात नीति पुस्तक 1984-85 (जिल्द-2) की पृष्ठ 16 पर की नीति विवरण की क्रम सं० 23(1) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके अनुसार एच०पी०एस० मूंगफली का निर्यात राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के माध्यम से सरणीबद्ध है।

2. यह निश्चय किया गया है कि नेफेड के माध्यम से एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात के लिए संपूर्ण नीति के अन्तर्गत निजी पार्टियों और अन्य को भी नेफेड के सहयोगियों के रूप में सरणीबद्ध 1984-85 के दौरान उनके लिए निश्चित की गई उच्चतम सीमा के मद्दे एच०पी०एस० मूंगफली का उनके स्वयं के नाम में निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी सरणीबद्ध की संपूर्ण नीति के अंतर्गत निजी व्यापारियों द्वारा निर्यात के लिए अलग से रखी गई मात्रा का अनुश्रवण भारतीय तेल एवं उत्पाद निर्यातक संघ (आई०ओ०पी०ई०ए०) करेगा। निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:—

(i) निर्यात पहले आए सो पहले पाए के आधार पर 100 प्रतिशत अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोले जाने पर नेफेड के साथ पंजीकृत संविदाओं के मद्दे अनुमेय होगा। किसी भी निश्चित दिन को नेफेड द्वारा प्राप्त आवेदनपत्रों पर एक ही प्राथमिकता होगी और आबंटन उच्चतम सीमा की उपलब्धता के अधीन यथानुपात के आधार पर होगा नेफेड द्वारा आबंटन किए जाने के बाद निजी निर्यातक अपने आपको आई०ओ०पी०ई०ए० के साथ पंजीकृत करायेंगे।

(2) निर्यात के लिए अनुमित मात्रा पर नेफेड द्वारा लगाया गया सेवा प्रभार 30 रु० प्रति टन होगा।

(3) नेफेड द्वारा निजी पार्टियों को आवंटित कोटे के बाद और आई० ओ०पी०ई०ए० के साथ पंजीकृत कराने के पश्चात निर्यात पत्तन के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पोत लदान बिलों पर पृष्ठांकन करने के बाद अनुमेय होगा।

(4) निर्यात स्वतंत्र रूप से सभी अनुमेय गन्तव्य स्थानों के लिए अनुमेय होगा।

(5) निजी पार्टियों को एच०पी०एस० मूंगफली के निर्यात के लिए प्राधिकरण जारी करने के लिए नेफेड द्वारा और कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी।

(6) इस सार्वजनिक सूचना जारी होने के 15 दिन बाद नेफेड आवेदन पत्र प्राप्त करना शुरू करेगा। 3, नेफेड एवं आई०ओ०पी०ई०ए० उच्चतम सीमा का अनुश्रवण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि 1984-85 के दौरान निर्यात के लिए नेफेड और निजी व्यापारियों के लिए एच०पी०एस० मूंगफली का निर्यात उनके लिए दर्शाई गयी मात्रा से अधिक नहीं होता है।

4. आई०ओ०पी०ई०ए० एक प्राप्त मूल्य निर्यातक का नाम और गन्तव्य स्थान के साथ पंजीकृत संविदा एवं किए गए पोत-लदानों को दर्शानेवाला एक मासिक विवरण वाणिज्य विभाग ई०पी० अनुभाग इपी को भेजेगा तथा इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी भेजेगा।

प्रकाश चन्द जैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

## EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st May, 1984

Public Notice No. 16—ETC(PN)|84.

Sub:—Export Policy of HPS Groundnuts during April, 1984—March, 1985.

F. No. 38(17)|84-EII.—Attention is invited to S. No. 23(i) of Policy Statement at page 16 of the Import and Export Policy Book, 1984-85 (Volume-II) according to which export of HPS Groundnuts is canalised through the National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED).

2. It has been decided that within the overall canalisation policy for export of HPS Groundnuts through NAFED, private parties and others will also be allowed to export HPS Groundnuts during 1984-85 as Associates of NAFED in their own names against ceiling ear-marked for them. Indian Oil & Produce Exporters Association (IOPEA) would monitor the quantity set apart for export by private trade within the overall policy of canalisation. The following conditions would have to be fulfilled:—

(i) Export will be allowed on first-come, first served basis against the contracts backed by 100 per cent irrevocable letter of credit to be registered with NAFED. Applications received by NAFED on any particular day will have the same priority and allocation will be made on pro rata basis subject to availability of ceiling. After allocation is made by NAFED, private exporters will get themselves registered with IOPEA.

(ii) The Service Charges to be levied by NAFED would be Rs. 20 per tonne of quantity permitted for export.

(iii) After the quota has been allocated to private parties by NAFED and registered with IOPEA, export will be permitted by the port licensing authorities by making endorsement on shipping bills.

(iv) Export will be allowed freely to all permissible destinations.

(v) No further condition would be imposed by NAFED for issuing authorisation for export of HPS Groundnuts to private parties.

(vi) The NAFED will start receiving applications fifteen days after the date of issue of this Public Notice.

3. The NAFED and IOPEA will monitor the ceiling and ensure that export of HPS Groundnuts does not exceed the quantity ear-marked for NAFED and private trade respectively for export during 1984-85.

4. IOPEA will send a monthly statement showing the contract registered and shipments effected alongwith the Unit value realised, name of the exporter, and destination to the Department of Commerce (EP Agri. Division) with a copy to this office.

P. C. JAIN, Chief Controller of
Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984